## प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के मार्च 2022 को समाप्त हुये वर्ष के लिये इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों जिसमें वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, परिवहन एवं भूतत्व एवं खनिकर्म शामिल हैं, के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं, जो 2021-22 की अवधि के लिये किये गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये, परन्तु जिन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। 2021-22 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।